राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

11/10 Sh. Sethi

क्रमांकःएफ (1)/1(67) आ.उ./पीएडीअनु/नियुक्ति/राज.अधि.मंत्रा.च.बो./2018 दिनांकः 05-10-2018

::आदेश::

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी) उद्योग निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा वर्ष 2018 में परिणाम के आधार पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की अभिशंषा पर राजस्थान उद्योग सेवा नियम–1966 के प्रावधानानुसार निम्नलिखित सफल अभियर्थियों को राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा में 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (उद्योग निरीक्षक) के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवानियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह संगत तिथि पदस्थापन स्थान/उपस्थिति रिपोर्ट करने की तिथि अनुसार देय होगी :

क्र. सं.	अभ्यार्थी का नाम व पता	जन्मतिथि	रोल नं.	मेरिट नं.	पदस्थापन स्थान
1.	श्री सत्यपाल सिंह पुत्र श्री माहवीर सिंह ग्राम पोस्ट विरानिया तहसील फतेहपुर, जिला सीकर	17.06.1982	318675	1	जिला उद्योग केन्द्र, अलवर उद्योग निरीक्षक के रिक्त पद पर।
2.	श्री विकास प्रजापत पुत्र श्री किशनलाल कुम्हार, 1/15 हाउसिंग बोर्ड, टोंक	20.02.1995	306324	2	जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर (शहर) उद्योग निरीक्षक के रिक्त पद पर।
3.	श्री मुन्नालाल काला पुत्र श्री बाबूलाल काला मु.पो.पुन्दलोता तह.डेगाना जिला नागोर	24.03.1997	320723	3	जिला उद्योग केन्द्र, अजमेर उद्योग निरीक्षक के रिक्त पद पर।
4.	श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामेश्वर लाल गांव सुरतसिहपुरा पो. कुचौर आथुणी तहसील व जिला बीकानेर	04.07.1992	318682	4	जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर उद्योग निरीक्षक के रिक्त पद पर।
5.	श्री ओमप्रकाश चौधरी पुत्र श्री खरताराम चौधरी ग्राम.पो.एड सिणधरी, तह. सिणधरी,बाडमेर	01.07.1992	310863	5	जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर उद्योग निरीक्षक के रिक्त पद पर।
6.	सुश्री किरण शर्मा पुत्री श्री सीताराम शर्मा जयपुर रोड, पटेलों की ढाणी थानागाजी, अलवर	10.01.1993	315943	7	जिला उद्योग केन्द्र, कोटा उद्योग निरीक्षक के रिक्त पद पर।
7.	श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री गोविन्द राम भोपां का बास भॉवता रोड के पास कुचामनसिटी, नागौर	19.03.1995	311270	22	जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर (ग्रामीण) उद्योग निरीक्षक के रिक्त पदर

5/X/2018

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

8.	श्री चरणदास बैरवा पुत्र श्री गंगाराम बैरवा पो. लुहारिया तह. माण्डल जिला भीलवाड़ा	20.10.1988	303996	23	जिला उद्योग केन्द्र, चित्तोड़गढ़ उद्योग निरीक्षक के रिक्त पद पर।
9.	कु. दया पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार चक 18एमएमके वार्ड नं. 1ग्रा.पो. धोलीपाल तह. व जिला हनुमानगढ़	12.05.1997	316947	33	जिला उद्योग केन्द्र, श्रीगंगानगर उद्योग निरीक्षक के रिक्त पद पर।
10.	श्री रामकेश मीना पुत्र स्व. श्री श्योकरण मीना ग्राम देवरी (थला) पोस्ट खोहल्या वाया अलीगढ़ जिला टोंक	29.09.1989	319017	39	जिला उद्योग केन्द्र, भीलवाड़ा उद्योग निरीक्षक के रिक्त पद पर।
11.	श्री भास्कर शर्मा पुत्र श्री प्रदीप शर्मा 3–च–24 विज्ञान नगर, कोटा	20.10.1993	308182	199	जिला उद्योग केन्द्र, उदयपुर उद्योग निरीक्षक के रिक्त पद पर।
12.	श्री हरदूल सिंह पुत्र श्री रिछपाल सिंह ग्रा.पो.गाडाखेडा, तह. बुहाना जिला झुन्झुनू	15.05.1985	304741	304	जिला उद्योग केन्द्र, सीकर उद्योग निरीक्षक के रिक्त पद पर।

नियुक्ति की शर्तें:–

1. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को वित्त विभाग की अधिसूचवना कमांक प. 1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ 14(1)एफडी/रूल्स/2013 PT दिनांक 08.06.2015 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लम्बित एसएलपी 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
2. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र कमांक प. 15(1)कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णित प्रावधान प्रभावी होंगे।
3. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीखें वे ही है जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा समयक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।
4. उक्त नियुक्तियां राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम–1966 और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्याधीन होंगी।
5. यह नियुक्ति अस्थाई है। सभी अभ्यर्थी राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम 1966 के नियम 30 के अन्तर्गत 2 वर्ष की परिवीक्षाकाल में रहेंगे तथा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है।
6. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा के उद्योग निरीक्षक होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेंगी।

5/x/2018

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

7. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
8. किसी अभ्यर्थी के दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं मानी जायेगी अर्थात नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
9. ,राज्य सरकार के कार्मिक (क–2)विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांक प. 8(1)कार्मिक/2/2003 दिनांक 09.06.2003 के अनुसार दिनांक 01.04.2003 एवं इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों पर पूर्व से चले आ रहे पेंशन नियम लागू नहीं होंगे अपितु अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
10. उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उनके चरित्र आदि संतोषजनक पाये जाने के अध्यधीन रहेंगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। बकाया रिपोर्ट प्राप्त होने तक अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रोविजनल मानी जावेगी।
11. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।
12. उक्त अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश प्राप्त होने की तिथि से 7 दिवस पश्चात तक भी रिपोर्ट नहीं करते है और ना ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते है तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

उपरोक्त समस्त अभ्यर्थी पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने से पूर्व 15 दिवस की अवधि तक मुख्यालय जयपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उपस्थित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(डॉ. समित शर्मा)
आयुक्त, उद्योग

कमांकःएफ (1)/1(67) आ.उ./पीएडीअनु/नियुक्ति/राज.अधि.मंत्रा.च.बो./2018 दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।
2. विशिष्ठ शासन सचिव, उद्योग ग्रुप–2 विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, आयुक्त उद्योग।
4. अतिरिक्त निदेशक, उद्योग,संस्थापन।
5. संयुक्त निदेशक, उद्योग (कम्प्यूटर) को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
6. समस्त फंक्शनल अधिकारी, मुख्यालय।
7. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्त।
8. सबंधित कार्मिक (रजिस्टर्ड डाक द्वारा)
9. रक्षित पत्रावली।

5/X/2018
(एस.एस.शाह)
संयुक्त निदेशक, उद्योग